

मांग संख्या 20
मुख्य शीर्ष 2215

मद क्रमांक 1 से 2

फरवरी 2006 में भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि गतिवर्धित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अंतर्गत 20 प्रतिशत राशि का आवंटन जल गुणवत्ता उपचार हेतु 75.25 के वित्तीय पोषण पर राशि उपलब्ध कराई जावेगी । इस वर्ष केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश हेतु रूपये 42.00 लाख की आवश्यकता है । यह एक नवीन योजना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 42,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 6215

मद क्रमांक 3

राज्य शासन द्वारा नगरीय जल प्रदाय योजनाओं को शीघ्र पूर्ण किये जाने के लिए ऋण हेतु रूपये 4273.45 लाख का प्रावधान का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 42,73,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।